मानव अधिकारों

की

सार्वभौम घोषणा

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

संयुक्त राष्ट द्वारा प्रकाशित
न्यूयॉर्क, 10017, संयुक्त राज्य अमेरिका

कॉपीराइट 2017 संयुक्त राष्ट्र
सर्वाधिकार सुरक्षित

सहायक उपक्रम अधिकारों सहित अधिकारों और लाइसेंस के बारे में सभी पूछताछ इस पते पर करें:

यूनाइटेड नेशन्स पब्लिकेशन्स
300 ईस्ट, 42 स्ट्रीट,
न्यूयॉर्क 10017,
संयुक्त राज्य अमेरिका
ई-मेल: publications@un.org
वेबसाइट: shop.un.org
कुछ अंश उद्धृत करने का अनुरोध इस पते पर करें:
permissions@un.org

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा
ISBN: 978-92-1-101364-1

संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन

परिचय

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को फ्रांस की राजधानी पैरिस में पाले दे शाईओ में किया था। इसकी रचना दूसरे महायुद्ध के दौरान विश्वभर के लोगों के साथ बर्बर कृत्यों और उन पर बरसी आपदाओं के परिणामस्वरूप की गई थी। इस घोषणा में उन सार्वभौम मूल्यों को मूर्त रूप दिया गया है जो सभी संस्कृतियों, राष्ट्रों और क्षेत्रों में प्रचलित हैं। इसमें उन अहरणीय अधिकारों को अधिसूचित किया गया है, जिनके हकदार सभी मानव हैं। प्रत्येक मानव नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीति और अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य, संपत्ति, जन्म अथवा अन्य हैसियत के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना इन अधिकारों का जन्मजात हकदार है। इसके पाठ में 30 अनुच्छेद हैं।

जून 1946 में विश्व में हुए सबसे घातक संघर्ष के बाद नवगठित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। इसमें विभिन्न राष्ट्रीयता और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 18 सदस्य थे। मानव अधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र की स्थायी संस्था है और इसका गठन इस पाठ की परिकल्पना और प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया था। आयोग ने घोषणा के अनुच्छेद लिखने के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संबंधी विशेष मसौदा समिति स्थापित की। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एलॅनॉर रोज़ोवेल्ट को सौंपी गई। दो वर्ष के दौरान समिति की बैठकें दो बार हुईं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में मानव अधिकार प्रभाग के निदेशक कनाडा के जॉन पीटर्स हम्फ्री को इस काम की ज़िम्मेदारी सौंपी। जल्द ही उनके साथ समिति के अन्य विख्यात विशेषज्ञ काम करने लगे। इनमें फ्रांस के रेने कासिन, लेबनान के चार्ल्स मलिक, चीन के फेंग चुन चाँग, ऑस्ट्रेलिया के विलियम हॉजसन, चिल्ली के एरनान सांता क्रूज़, सोवियत संघ के एलेग्जेंडर बोगोमोलॉव और

यूनाइटेड किंगडम के चार्ल्स ड्यूक्स (लार्ड ड्यूक्सटन) शामिल थे। श्री हम्फ्री ने जो पहला मसौदा पेश किया वही आयोग के लिए कामकाजी पाठ बन गया।

मई 1948 में समिति ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो इस मसौदे पर मानव अधिकार आयोग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा महासभा की तीसरी समिति ने आगे चर्चा की। उसके बाद दिसम्बर 1948 में इस पर मतदान हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अनेक संशोधन और प्रस्ताव रखे।

आज मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा विश्व में सर्वाधिक अनुवादित पाठ है जिससे इसकी सार्वभौमिकता की पुष्टि होती है।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग द्वारा तैयार वर्तमान संस्करण में संयुक्त् राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं में सभी 30 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

यद्यपि मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजात गरिमा और समान तथा अहरणीय अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की बुनियाद है।

यद्यपि मानव अधिकारों की उपेक्षा और अवमानना के परिणामस्वरूप ऐसे बर्बर कृत्य हुए हैं, जिन्होंने मानव समुदाय की चेतना का अतिक्रमण किया है फिर भी ऐसे विश्व का उदय हुआ है जिसमें मानव मात्र वाणी और आस्था की स्वतंत्रता तथा भय और वंचना से मुक्त् स्वतंत्रता को आम लोगों की उच्चतम आकांक्षा के रूप में घोषित किया गया है।

यद्यपि यह आवश्यक है कि यदि व्यक्ति को अंतिम उपाय के रूप में अत्याचार और दमन के विरुद्ध विद्रोह के लिए बाध्य नहीं किया जाना है तो मानव अधिकारों को कानून सम्मत शासन से संरक्षण दिया जाना चाहिए।

यद्यपि यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने उसके चार्टर में मूल मानव अधिकारों में, मानव मात्र की गरिमा और महत्व में तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों में अपनी आस्था की पुनःपुष्टि की है और संकल्प लिया है कि व्यापक स्वतंत्रता में रहन-सहन के बेहतर स्तर एवं सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगे।

यद्यपि सदस्य देशों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करते हुए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान और उनके पालन के संवर्धन का लक्ष्य हासिल करेंगे।

यद्यपि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की आम समझ इस संकल्प को पूरी तरह साकार करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

अतः महासभा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का साझा मानक घोषित करती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को निरन्तर अपने मस्तिष्क में रखते हुए, इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करने तथा प्रगतिशील राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से उनके लिए सार्वभौम और कारगर मान्यता जुटाने तथा उनके पालन हेतु सदस्य देशों की जनता और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की जनता के बीच संरक्षित करने के लिए सिखाने और शिक्षण के माध्यम से प्रत्यनशील रहेंगे।

अनुच्छेद 1

सभी मानव स्वतंत्रता और गरिमा तथा अधिकारों में समानता के साथ जन्म लेते हैं। वे तर्कशक्ति और चेतना से संपन्न होते हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए।

अनुच्छेद 2

प्रत्येक व्यक्ति को, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य मत, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक मूल्य, संपत्ति, जन्म अथवा किसी अन्य, हैसियत, जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में निहित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पाने का अधिकार है। इतना ही नहीं उस देश या क्षेत्र की राजनीतिक, न्यायाधिकृत अथवा अंतर्राष्ट्रीय हैसियत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जिसका वह व्यक्ति निवासी है, भले ही वह स्वतंत्र, न्यास, गैर-स्वशासित अथवा प्रभुसत्ता की किसी अन्य सीमा के अंतर्गत आता हो।

अनुच्छेद 3

हर किसी को, व्यक्तिगत जीवन, स्वतंत्रता और संरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4

किसी को भी दासता अथवा गुलामी में नहीं रखा जाएगा, दासता और दास व्यापार के सभी रूपों का निषेध होगा।

अनुच्छेद 5

किसी व्यक्ति को यातना अथवा क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड का भागी नहीं बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 6

हर किसी को हर जगह कानून के समक्ष प्रस्तुत व्यक्ति के रूप में मान्यता पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 7

सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें किसी तरह के भेदभाव के बिना कानून सम्मत समान संरक्षण पाने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को इस घोषणा के उल्लंघन में किसी भी प्रकार के भेदभाव और ऐसे भेदभाव के लिए किसी भी प्रकार के उकसावे से समान रूप से संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा अथवा कानून द्वारा प्रदान मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों् के लिए सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के समक्ष कारगर रूप से राहत पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 9

किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, नज़रबंदी अथवा निर्वासन में नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 10

प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण में और अपने ऊपर कोई भी दंडनीय आरोप लगने पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा पूर्ण समानता के साथ निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई कराने का अधिकार है।

अनुच्छेद 11

1. दंडनीय अपराध के आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक सुनवाई में कानून के अनुसार दोषी सिद्ध होने तक उसे निर्दोष माना जाएगा और इस सुनवाई में उसे अपने बचाव के लिए सभी आवश्यक गारंटी दी गई होंगी।

2. किसी भी व्यक्ति को अपराध किए जाने के समय राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में न आने वाले किसी कृत्य अथवा भूल के कारण भी दंडनीय अपराध का दोषी नहीं

ठहराया जाएगा और न ही दंडनीय अपराध किए जाने के समय लागू दंड से अधिक कठोर दंड दिया जाएगा।

अनुच्छेद 12

किसी भी व्यक्ति को अपनी निजता, परिवार, घर अथवा पत्र-व्यवहार में मनमाने हस्त्क्षेप का भागी नहीं बनाया जाएगा और न ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर आघात किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप अथवा आघातों से बचाव के लिए कानून से संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 13

1. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर आने-जाने और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़कर जाने और अपने देश में लौटने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14

1. प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए किसी भी देश में शरण मांगने और शरण लेने का अधिकार है।

2. यदि उत्पीड़न वास्तव में गैर-राजनीतिक अपराधों के कारण अथवा संयुक्त राष्ट्र उद्देश्यों और सिद्धांतों का अतिक्रमण करने वाले कृत्यों के कारण होता है तो इस अधिकार का सहारा संभवतः नहीं लिया जा सकता।

अनुच्छेद 15

1. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।

2. किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही उससे अपने राष्ट्रीयता बदलने का अधिकार छीना जाएगा।

अनुच्छेद 16

1. पूर्ण आयु के पुरुषों और महिलाओं को नस्ल, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के आधार पर किसी भी प्रतिबंध के बिना विवाह करने और परिवार शुरू करने का अधिकार है। उन्हें विवाह करने, विवाह के दौरान और उसे भंग करने के समय बराबर अधिकार पाने का हक है।

2. विवाह, इच्छुक दंपत्ति की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही संपन्न किया जाएगा।

3. परिवार समाज की सहज एवं मूल समूह इकाई है और उसे समाज एवं शासन से संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 17

1. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार है।

2. किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, चेतना एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म अथवा आस्था बदलने की स्वतंत्रता और अकेले अथवा समुदाय में अन्य व्यक्तियों के साथ एवं सार्वजनिक अथवा निजी रूप में उपदेशों, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म अथवा आस्था को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 19

प्रत्येक व्यक्ति को मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में किसी हस्तक्षेप के बिना अपनी राय रखने एवं सीमाओं की पाबंदी के बिना किसी भी माध्यम से सूचना और विचार मांगने, प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद 20

1. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता का अधिकार है।

2. किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन से जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हिस्सा लेने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को लोक सेवा तक समान रूप तक पहुंच रखने का अधिकार है।

3. जनता की इच्छा, सरकार के प्राधिकार का आधार होगी। इस इच्छा को समय-समय पर और सही अर्थों में कराए गए चुनावों में व्यक्त किया जाएगा जो सार्वभौम और समान मतदान अधिकार से संचालित होंगे और जिन्हें गुप्त मतदान अथवा समकक्ष निष्पक्ष मतदान प्रक्रियाओं के द्वारा कराया जाएगा।

अनुच्छेद 22

प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयास एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तथा प्रत्येक देश की संरचना और संसाधनों के अनुसार ऐसे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पाने का हक है जो उसकी गरिमा तथा उसके व्यक्तित्व के निर्बंध विकास के लिए अपरिहार्य हैं।

अनुच्छेद 23

1. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, रोज़गार का विकल्प चुनने, काम के लिए समुचित और अनुकूल परिस्थितियों एवं बेरोज़गारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी तरह के भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है।

3. प्रत्येक कामकाजी व्यक्ति को ऐसा समुचित और उपयुक्त पारिश्रमिक पाने का अधिकार है जिससे वह अपने और अपने परिवार के लिए, मानवीय गरिमा के अनुकूल, अस्तित्व सुनिश्चित कर सके और यदि आवश्यक हो तो सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा पूरक पारिश्रमिक ले सकें।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण के लिए मज़दूर संगठन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24

प्रत्येक व्यक्ति को काम के घंटों की तर्कसंगत सीमा और समय-समय पर वेतन के साथ अवकाश सहित विश्राम और आमोद-प्रमोद का अधिकार है।

अनुच्छेद 25

1. हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रहन-सहन का उपयुक्त स्तर पाने का अधिकार है जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास तथा चिकित्सा सेवा और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं तथा बेरोज़गारी, बीमारी, अपंगता, विधुर/विधवा होने, वृद्धावस्था तथा उसके नियंत्रण के परे की परिस्थितियों में अन्य प्रकार से आजीविका के अभाव की स्थिति में संरक्षा पाने का अधिकार है।

2. मातृत्व और बचपन की अवस्था में विशेष देखभाल और सहायता पाने का अधिकार है। सभी बच्चे, चाहे वैवाहिक संबंध के भीतर जन्मे हों या बाहर, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद 26

1. हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा, कम से कम प्रारंभिक और मूल अवस्थाओं में निशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और पेशेवर शिक्षा सामान्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी

और उच्च शिक्षा भी योग्यता के आधार पर सबके लिए समान रूप से सुलभ होगी।

2. शिक्षा का उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तथा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बल प्रदान करना होगा। शिक्षा, सभी देशों, नस्लीय और धार्मिक समूह के बीच सद्भाव, सहनशीलता और मैत्री को बढ़ावा देगी तथा शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी।

3. माता-पिता को पहले से यह चुनने का अधिकार है कि उनके बच्चों को किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 27

1. प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में खुलकर भागीदारी करे, कलाओं का आनंद ले और वैज्ञानिक उन्नति तथा उसके लाभों को दूसरों के साथ बांटे।

2. हर व्यक्ति को अपनी किसी वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक रचना से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 28

हर व्यक्ति को ऐसी सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पाने का अधिकार है जिसमें घोषणा में निहित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को पूरी तरह साकार किया जा सके।

अनुच्छेद 29

1. हर व्यक्ति के समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं जिनके माध्यम से ही उसके व्यक्तित्व का खुलकर और पूर्ण विकास संभव है।

2. अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करते समय हर व्यक्ति पर केवल ऐसी सीमाएं ही लागू होंगी जिनका निर्धारण कानून द्वारा सिर्फ दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता और सम्मान देने तथा

लोकतांत्रिक समाज में नैतिकता, लोक व्यवस्था एवं सबके कल्याण की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

3. अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग किसी भी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 30

इस घोषणा में निहित किसी भी बात की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती कि किसी भी शासन या समूह को इसमें निहित किसी भी अधिकार और स्वतंत्रता का नाश करने के लिए लक्षित कोई गतिविधि अथवा कोई कृत्य करने का किसी प्रकार का अधिकार है।